ज्वैलर्स की दुकान में हुई 38 लाख की लूट का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी से कुछ ज्वैलरी भी बरामद की, दो बदमाशों की तलाश जारी

अलवर, (निसं)। अलवर में ज्वैलर की दुकान में घुसकर 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने लाया गया तो तीन पुलिसवालों ने कार से उतारा। अस्पताल के अंदर मेडिकल कराने ले जाया गया।

अलवर एसपी ने बताया कि एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया। आरोपी सागर उर्फ संजय यादव निवासी इस्माईलपुर पुलिस थाना बादली जिला झज्जर हरियाणा का निवासी है। उससे कुछ ज्वैलरी भी बरामद की है। तीनों बदमाश हरियाणा के झज्जर के आसपास के हैं। लूट की वारदात कर वापस वहीं निकल गए थे। अभी पुलिस को दो बदमाशों की तलाश है।

■ **हथियार दिखाकर तीन बदमाश ज्वैलरी की दुकान से 38 लाख के जेवरात लूट कर फरार हो गये थे, पांच दिन से पुलिस तलाश कर रही थी**

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे अलवर शहर के तिजारा रोड पर मोहनलाल सोनी की दुकान राधा ज्वैलर्स में घुसकर हथियारों के दम पर 38 लाख रुपए के जेवर लूट ले गए थे। एक बाइक पर तीन बदमाश आए थे। एक ने हेलमेट लगा रहा था। दो ने मुंह को ढका हुआ था। पहले एक बदमाश दुकान में गया। इसने जाते ही मोहनलाल के गले पर दंराती लगा दी थी। दूसरा बदमाश तिजोरी की तरफ गया। तिजोरी से जेवर अपने बैग में भरने लगा। तीसरा बदमाश बाहर कट्टा लेकर खड़ा रहा। बीच में कुछ सेकेंड तीसरा बदमाश भी दुकान के अंदर गया। उसने सोनी के साथ मारपीट भी की। करीब 1 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर बाइक से चिकानी रोड की तरफ भाग गए थे। अब 5 दिन बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। व्यापारी से मारपीट कर दुकान की तिजोरी से करीब 38 लाख रुपए के जेवर लूटने वाले एक बदमाश को 5 दिन में पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी दो फरार हैं। इस मामले को लेकर 5 दिन से व्यापारी वर्ग में रोष था। दो दिन पहले जल्दी बदमाशों के अरेस्ट नहीं होने पर अलवर बंद का आव्हान किया था। एक दिन दो घंटे सर्राफा बाजार बंद रखा गया था।

करंट लगने से किसान की मौत : डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के बासिया मालीफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले।

धम्बोला थाना हेड कॉनि. सोहनलाल ने बताया कि जयंती उतर घना ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है। जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था। खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था। करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। देर तक पिता वापस घर नहीं आए तो बेटी रविना पिता को देखने खेतों की तरफ गई। बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले। रविना ने चिल्लाकर लोगो को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर धंबोला थाने से हेड कॉनि. सोहनलाल, रोशन और विनोद की टीम पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाडा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया।

तीन साल से फरार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

कोतवाल सुनील चौधरी ने बताया कि एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पारस जैन के निर्देशन में एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हेमन्त कुमार के सुपरविजन में स्थाई वारंटीयों की गिरफ्तारी व आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिये एरिया डोमीनेशन की कार्रवाई के लिये विषेष पुलिस टीम का गठन किया गया। गठीत पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर हलेड तिराहा पर बिना नम्बरी स्कॉर्पियो कार जिसके शिशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई सहित लम्बे समय से फरार कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर और स्थाई वारंटी हनुमान धाकड़ पिता महावीर प्रसाद धाकड़ निवासी हनुमान कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया। हनुमान धाकड़ के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार को कब्जे में रखने, धोखाधड़ी और मारपीट के 11 प्रकरण दर्ज हैं।

■ **आरोपी से बिना नम्बरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त, आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 प्रकरण दर्ज हैं**

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर

क्रमांक :- प.46/अअ/उदय/वि.बो/बिड/2025-26/राजकाज नं. 19022496 दिनांक :- 25/11/2025

निविदा सूचना संख्या -06/2025-26 (NIB No. AGM2526A0206)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड उदयपुर एवं डूंगरपुर में जनजाति विकास कार्य, उदयपुर, राजसमन्द एवं डूंगरपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी एवं उद्यान विभाग के कार्यो की ऑनलाईन निविदाऍ ई–प्रोक्युरमेन्ट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से उपयुक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.2025 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.rsamb.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in (NIB No AGM 2526A0206 & UBN No. 878 to 881 & 883 to 891) पर भी देखा जा सकता है।

राज.संवाद/सी/25/14693 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड-।। बीकानेर

क्रमांक-1124 दिनांक-20/11/2025

ई-बोली सूचना संख्या-11/2025-2026

Bid for Permanent Restoration Work on Various Roads SDGH & CD Work NH-62 to Kisturia at Ch 0/500 are invited from interested bidders from 24-11-2025 to 08-12-2025 6.00 PM. and to be opened 09-12-2025 02:00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state; and PWD Department website. The approximate value of the procurement is Rs 192.75 Lacs.

(महेन्द्र पाल सिंह चालिया)
अधिशाषी अभियन्ता,
सानिवि जिला खंड-।।, बीकानेर

DIPR/C/17382/2025

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

ई-निविदा सूचना दिनांक :- 26/11/2025

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
e-Tender no. RSMM/CO/GGM (Cont) Cont-12/2025-26 dated 25.11.2025 UBN No. MML2526WSOB00109	झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट माईन्स स्थित बैस केम्प चौराहे से वेलकम गेट तक बाऊंड्रीवाल निर्माण का कार्य। (निविदानुसार) अनुमानित लागतः रू. 26.70 लाख, धरोहर राशिः रू. 53,400/–, निविदा प्रपत्र मूल्य 1180/–

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा वरि. प्रबन्धक (अनुबन्ध) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/25/14690 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक- प.1/आ.मि / लैब आईटम क्रय/ 2025-26/106 दिनांकः 20.11.2025

ई- बोली विज्ञप्ति वर्ष 2025-26

चिकित्सालय व राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभागान्तर्गत संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए लैब आईटम आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित मूल निर्माताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स / अधिकृत विक्रेताओं से कुल अनुमानित राशि 14424000/- रू. की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका UBN NO.-AYU2526GLOB00318 है। लैब आईटम क्रय हेतु निविदा फॉर्म डाउनलोड प्रारंभ करने की दिनांक 20.11.2025 सायं 6:00 बजे से एवं स्वीकार करने की अंतिम दिनांक 10.12.2025 सायं 6:00 बजे तक रखी गई है।
बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट https://eproc.rajasthan.gov.in, https://dipr.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट https://ayurved.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक

DIPR/C/17345/2025

डोडा-पोस्त समेत एक गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। शहर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने डीपीएस सर्किल के पास नाकाबंदी में सीमेंट के कट्टों से भरे ट्रेलर को रूकवाया। गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला मगर चालक के पास से दो किलो अवैध डोडा-पोस्त मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने यह डोडा-पोस्त खुद के उपयोग के लिए लाना बताया। थानाधिकारी ईश्वर चंद पारिक ने बताया कि नाकाबंदी में एक सीमेंट से लदे ट्रेलर को रूकवाया गया। चालक के पास से दो किलो डोडा-पोस्त मिला। इस पर सहीराम विश्नोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया।

किशोरी से दुष्कर्म

बीकानेर, (निसं)। 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी फरार है, जिसे कोटगेट थाना पुलिस तलाश रही है। पीड़िता की मां की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने पुत्र और नाबालिग पुत्री के साथ रहती है। आरोपी अशोक वेटर ठेकेदार है और पुत्र उसके साथ काम करता है। करीब 25 दिन पहले अशोक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और प्रभारी जमानती वारंट से तलब

अवमाननाकर्ता को 50 -50 हजार के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया

जोधपुर, (कासं)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मयंक बथवाल और प्रभारी अधिकारी सौरभ चतुर्वेदी को पचास पचास रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग के समक्ष तलब किया है।

आयोग अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा, न्यायिक सदस्य अरुण कुमार अग्रवाल और सदस्य लियाकत अली ने हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। अनीता भरत कुमार गर्ग ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से इजराय प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि 6 सितंबर 2023 को आयोग ने प्रार्थी के पति की मृत्यु पर एक करोड़ रुपए दावा राशि मय ब्याज दो लाख रुपए हरजाना और 50 हजार रूपए वाद व्यय अदा करने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 16 अप्रैल 2024 को स्थगन आदेश जारी कर दिया। प्रार्थी की रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 14 जनवरी को 50 फीसदी राशि का भुगतान 31 मार्च तक प्रार्थी को अदा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी की ओर से राशि जमा नहीं करने पर 12 अगस्त को खंडपीठ ने बीमा कंपनी को दो सप्ताह में आदेश की पालना करने का निर्देश दिया और इसके अभाव में प्रार्थी को विपक्षी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की छूट प्रदान की। 9 सितम्बर को विपक्षी के यह कहने पर कि उन्होंने गलत जगह का ड्राफ्ट बना दिया था, खंडपीठ ने विपक्षी को सही डिमांड ड्राफ्ट दो सप्ताह में 15 हजार की कॉस्ट के साथ जमा कराने का आदेश दिया।

■ **हाईकोर्ट और आयोग के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर अवमानना करने पर अवमाननाकर्ता के खिलाफ यह आदेश जारी किया**

अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की जानबूझकर पालना नहीं कर 19 नवंबर को आधी अधूरी राशि 72 लाख 27 हजार 630 रुपए राज्य उपभोक्ता आयोग के नाम से ड्राफ्ट बना कर जमा करवा दी, जबकि विपक्षी को सही राशि का ड्राफ्ट प्रार्थी के नाम से जमा करना था, सो अवमाननाकर्ता को जरिए वारंट तलब किया जाएं।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि विपक्षी ने न्यायालय के किसी भी आदेश की पूर्ण पालना नहीं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग, जोधपुर के समक्ष राशि जमा करने का आदेश दिया था और कहा था कि राशि प्रार्थी को अदा की जाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी को यह जानकारी होते हुए कि राज्य आयोग का कोई बैंक खाता नहीं है, उन्होंने प्रार्थी के नाम से ड्राफ्ट नहीं बनाकर आयोग के नाम से बनाकर गलत किया है। अवमाननाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है सो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत उनको दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है सो अवमाननाकर्ता को 50-50 हजार रुपए के जमानती वारंट से 29 दिसंबर को आयोग को समक्ष तलब किया जाता है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग, वृत बारां

भीम BhIM

क्रमांक :- अअ/वृत/बारां/2025-26/1901 दिनांकः 17/11/2025

निविदा सूचना संख्याः 04 से 07/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/कार्य के ठेकेदार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक, दूरसंचार, रेल्वे, सेना अभियांत्रिकी सेवा, अन्य राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों/ संगठनों के पास सूचीबद्ध ठेकेदार, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" श्रेणी के समतुल्य है भी कार्यों के लिये निविदा हेतु नियमानुसार विहित अठिम धनराशि देने के पश्चात् निविदा हेतु पात्र होंगे, से निर्धारित प्रपत्रो में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 19.11.2025 प्रातः 10:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है। ऑनलाईन निविदाएँ इसी वेबसाईट पर इच्छुक संवेदकों द्वारा दिनांक 19.11.2025 से 04.12.2025 सांय 18:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। वेबसाईट पर दिनांक 05.12.2025 को इस कार्यालय में दोपहर 15:00 बजे निविदा खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन कार्यदिवस को उसी समय पर निविदा खोली जावेगी। निविदा शुल्क/प्रक्रिया शुल्क/धरोहर राशि निविदादाता द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से चालान की प्रति इस कार्यालय में 05.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक जमा करवाना होगा। विभाग में पजिकृत स्थाई संवेदक/फर्म पंजीयन जीवित नही होने, संवेदक/फर्म का पुनरावलोकन जीवित नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
उक्त निविदा एसपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाईट पर देखे जा सकते है :-
1. http://www.eproc.rajasthan.gov.in 2. http://sppp.rajasthan.gov.in

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा/ प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)		कार्य पूर्ण करने की अवधि
			2%	½%	Tender Fees	RISL Fees	
04/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc. complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Chhabra UBN No.: PHE2526 WSRC08646	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/-	2000/-	12 माह
05/ 2025-26	Annual Rate contract for Construction & Commissioning of 200 mm & 150 mm tube wells with Submersible pump sets etc, complete work in all types of strata including defect liability period of 02 year at various villages of PHED Division Baran. UBN No.: PHE2526WSRC08651	150.00	3,00,000/-	75000/-	5000/-	2000/-	12 माह
06/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Chhabra, Dist. Baran UBN No. PHE 2526WSRC08652	100.00	2,00,000/-	50,000/	2000/-	1500/-	12 माह
07/ 2025-26	Annual Rate Contract for supply & installation of Pump sets, Feeder Panels & allied works at various schemes under jurisdiction of Dn Baran, Dist. Baran UBN No.: PHE 2025-26WSRC08653	100.00	2,00,000/-	50,000/	2000/-	1500/-	12 माह

जल ही जीवन है

(आलोक कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता
जनस्वा.अभि. विभाग, वृत्त बारां

DIPR/C/17307/2025

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कार्यालय मुख्य अभियंता (थर्मल डिज़ाईन), 602, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना : TN-47 (RVU2526GLOB01681)

रा.वि.उ.नि. के केटीपीएस, कोटा हेतु बीबीडी–4760 प्रकार के बीएचईएल लाइनर्स और एसटीपीएस, सूरतगढ़ एवं सीटीपीपी, छबड़ा के लिए कोयला पल्वराइजर्स/मिलों बीबीडी–4772 प्रकार के बीएचईएल लाइनर्स की आपूर्ति हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in (ई–निविदा हेतु), www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/25/14697 RVUN/PR-4305 अधीक्षण अभियन्ता (टी.डी.-I)

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर पालिका, सादड़ी (जिला-पाली) राज.
पताः मैन बस स्टेण्ड, सादड़ी (आपकी सेवा में सदैव तत्पर)
Ph.-02934-285022 email: npsadri1979@yahoo.com, gmail.com

क्रमांक : न.पा.सा./2025/3785-3787 दिनांक 20.11.2025

-:: Notice Inviting Bid ::-

Bid for subject matters of procurement are invited from intreseted bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in) of the state departmental website.

UBN NO :- DLB2526WSOB24772

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी

राज.संवाद/सी/25/14660

RajCOMP Info Services Limited (RISL)
C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL द्वारा निम्न ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं :–

NIB No./ Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost	Start of sale / Last date
4898/26.11.2025 RIS2526GSRC00057	RFP Regarding rate contract for supply & installation of SSL Certificates for various websites / applications.	9.00 Lacs 18,00,000	02.12.2025 / 10.12.2025

विस्तृत जानकारी हेतु इन वेबसाईट पर सम्पर्क करें – http://risl.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://doitc.rajasthan.gov.in.

Raj.Samwad/C/25/14705 General Manager

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी / निलामी (ERCC/RCC 17)/2025/ई-13391

ई-नीलामी विज्ञप्ति संख्या (ERCC/RCC 17)/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञप्ति से अप्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों / क्वारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क /अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 44 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPR/C/17396/2025 (महावीर प्रसाद मीणा) निदेशक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सांचौर

क्रमांकःअअ / सांचोर /2024-25/3011 दिनांकः 20.11.2025

निविदा सूचना संख्याः 12/2025-26
NIB No.: PWD2526A4414

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न सड़को के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. 261.60 लाख है

निविदा आवेदन	25 नवम्बर 2025, 9:30 बजे से 15 दिसम्बर 2025, सांय 6:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in http://sppp.rajasthan.gov.in http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http:// eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू.बी.एन संख्या निम्नानुसार है।
UBN No.
1.UBN PWD2526WS01317413
2.UBN PWD2526WS01317416

(प्रदीप पंवार)
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड सांचौर

DIPR/C/17381/2025

अवैध रूप से पेड़ काटने व कोयला कारोबार करने पर प्रशासन सख्त

■ **जिला कलेक्टर ने 10 अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध 16 सीसीए की कार्रवाई की, चार को निलंबित किया**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 (सीसीए) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर ने बनेड़ा क्षेत्र में बिना नीलामी हजारों पेड़ काटे व सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर को गायब करने संबंधी मामला सामने आने पर विभागीय जांच करवाई। जांच में दोषी पाए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक देवकरण टॉक व पटवारी (हल्का बामणिया) भगवत लाल जाट को निलंबित किया गया। साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है एवं तहसीलदार बनेड़ा संतोष कुमार सुनारीवाल के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर को आसींद क्षेत्र के नारायणपुरा गांव के 200 बीघा जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने व अवैध तरीके से कोयला माफिया से मिलीभगत कर कोयला बनाकर बाहर भेजने संबंधी प्रकरण सामने आया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर ने भू अभिलेख निरीक्षक नरेशनाथ योगी व पटवारी दूल्हेपुरा गारंती बाई मीणा को निलंबित किया, साथ ही 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी जारी है। तहसीलदार आसींद जयसिंह के विरुद्ध भी 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

वहीं जिला कलेक्टर को जहाजपुर क्षेत्र में 300 बीघा बिलानाम भूमि पर बबूल के पेड़ काटने व अवैध कोयला कारोबार से संबंधित मामला सामने आया, जिसमें विभागीय जांच करवाई गई। जांच में दोषी पाये जाने पर तहसीलदार जहाजपुर रवि कुमार मीणा, नायब तहसीलदार खजूरी बद्रीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक अशोक कुमार धाकड़ व पटवारी हल्का किशनगढ़ अंकित कुमार गुप्ता के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राजकीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संरक्षण व राजस्व भूमि सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मामूली कहासुनी में किशोर से मारपीट

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना में एक कैफ़े में हुई मामूली कहासुनी ने हैवानियत का रूप ले लिया और कुछ युवकों ने एक किशोर को रामसाबास रोड़ स्थित नमक झील क्षेत्र में ले जाकर बेरहमी से पीटा। पिटाई में आरोपियों ने इतनी दरिंदगी की और पीड़ित किशोर को लाठियों और बेल्ट से इस कदर पीटा कि उसकी पीठ, पैर और कूल्हे पर चोट के गहरे लाल निशान बन गए। मारपीट के बाद आरोपी युवक, किशोर को नमक झील में पटककर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित किशोर के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही परिजन उसे गंभीर हालत में लेकर राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पीड़ित किशोर के परिजनों द्वारा पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

■ **मारपीट के बाद नमक झील क्षेत्र में किशोर को पटक कर भाग गये आरोपी युवक**

विवादों में रही कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार

उदयपुर, (कासं)। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो. सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थीं। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर प्रदेशभर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त (उदयपुर) की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।

जाकनारी के अनुसार कुलगुरु सुनीता मिश्रा करीब 2 महीने पहले उस समय विवादों में आई थीं जब विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने औरंगजेब को कुशल प्रशासक और अकबर को महान बताया। इस बयान के बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दो माह के लगातार दबाव के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया जिसे राजभवन ने स्वीकार कर उन्हें पदमुक्त कर दिया। उदयपुर में मिश्रा को सुखाडयि यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने उन्हीं के चैंबर में कैद कर दिया था। वे छह घंटे चैंबर में फंसी रहीं थी। विवाद के बाद सामने आई सुनीता मिश्रा ने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

युवती से दुष्कर्म का आरोप

जोधपुर, (कासं)। पाक विस्थापित युवती से उसके एक परिचित ने दुष्कर्म किया। उसके फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता पुलिस थाने पहुंची और केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पाक विस्थापित युवती वर्ष 2014 में यहां आई। उसके साथ ही आरोपी भी 2014 में आया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को उसने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब उसे फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN राजस्थान सरकार का उपक्रम RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

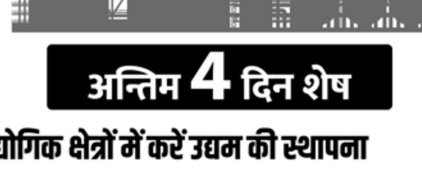

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

अन्तिम 4 दिन शेष

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

61 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 322 कुल भूखण्ड | 312 औद्योगिक भूखण्ड | 10 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी अंतिम तिथि: 01 दिसम्बर, 2025 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 02 दिसम्बर, 2025 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 04 दिसम्बर, 2025 (सायं 05:00 बजे)

33	आबू रोड़	09	चूरू	34	नागौर	09	उदयपुर
21	अजमेर	10	बीकानेर	07	पाली	03	जयपुर (दक्षिण)
02	अलवर	14	श्रीगंगानगर	26	झालावाड़	01	जयपुर (उत्तर)
07	भिवाड़ी-I	22	किशनगढ़	01	जालोर	28	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
14	भिवाड़ी-II	16	भीलवाड़ा	14	राजसमंद	01	जोधपुर
08	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	05	सवाईमाधोपुर
09	घिलोठ	04	भरतपुर	03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/14701

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएपः +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से संबंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से संबंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in